"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2017—पौष 8, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 7-15/2005/1-सू.अ.प्र.—राज्य शासन, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 की उप धारा-3 के अंतर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित करता है :—

1.	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	—	अध्यक्ष
2.	माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा	—	सदस्य
3.	माननीय श्री रामसेवक पैकरा, मंत्री, गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छत्तीसगढ़ शासन	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-16/2017/16.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के संगठित, असंगठित तथा भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों/पूर्व श्रमिकों के लिए सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित पूर्व की सभी योजनाओं को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार योजना बनाता है :—

(क) **योजना का नाम एवं विस्तार :—**

1. योजना का नाम ''सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना'' होगा.

2. छत्तीसगढ़ राज्य के संगठित क्षेत्र के श्रमिक निर्माण श्रमिक एवं असंगठित श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई हो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र होंगे.

3. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को दिया जावेगा.

4. यह योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होगी तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत् मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी.

5. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए अपनी विद्यमान योजना में इस योजना के अनुरूप परिवर्तन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल इस योजना के अनुरूप नई योजना का निर्माण करेगा.

(ख) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनायें जहां कारखाना अधिनियम 1948 अथवा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 प्रभावशील होगा, में कार्यरत/पूर्व में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा. यदि कोई कारखाना/स्थापना श्रम कल्याण मण्डल के दायरे में हो परन्तु कारखाने/स्थापना द्वारा स्वयं अथवा श्रमिक का पंजीकरण छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत नहीं कराया गया हो, ऐसी स्थिति में भी श्रम कल्याण मण्डल द्वारा योजना का लाभ श्रमिक/परिवारजनों को दिया जावेगा तथा पंजीकरण नहीं कराने वाले कारखाने/स्थापना के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा योजना का लाभ प्रदेश के उनके अंतर्गत आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को दिया जावेगा. यदि उनके अधीन श्रमिक प्रवर्ग के किसी अपंजीकृत श्रमिक में इस बीमारी की पुष्टि होती है तो मण्डल द्वारा ऐसे श्रमिक का पात्रतानुसार पंजीयन कर उन्हें योजना का लाभ दिया जावेगा.

3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा. इसके अतिरिक्त वे श्रमिक जो स्वयं के संगठित क्षेत्र के कारखाने में कार्यरत होने का दावा करते हो परन्तु उप संचालक/सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके संगठित क्षेत्र के कारखानों में कार्य करने के प्रमाण नहीं मिले हो या जो निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकरण के पात्र न हो को भी छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अधिसूचित श्रमिक प्रवर्ग में पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जावेगा.

4. इस योजना के लाभ हेतु सक्षम चिकित्सक यथा शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पतालों में कार्यरत चेस्ट एवं टी.बी. विशेषज्ञ चिकित्सक/पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की व्यवसायजन्य रोग निदान समिति/कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रमाणक शल्यज्ञ)/उप संचालक (चिकित्सा) अथवा सहायक संचालक (चिकित्सा) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (श्रम विभाग) उक्त में कोई एक द्वारा श्रमिक में सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा.

(ग) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल हेतु आवेदन की प्रक्रिया–आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित आवेदन, जिले के उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे. उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सात दिवसों की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलत: अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा.

2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल हेतु आवेदन की प्रक्रिया–आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित आवेदन, जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे. उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सात दिवसों की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलत: अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा.

3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल हेतु आवेदन की प्रक्रिया–आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित आवेदन, जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे. उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सात दिवसों की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलत: अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा.

4. सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन मृतक श्रमिक के आश्रित (माता/पिता/पत्नि/पति/पुत्र/पुत्री) द्वारा भी किया जा सकेगा.

5. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे.

6. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ सहायक श्रमायुक्त/जिला श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे.

7. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ सहायक श्रमायुक्त/जिला श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे.

(घ) **योजना अंतर्गत सहायता :—**

आर्थिक सहायता :—

1. योजना के अंतर्गत रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) हितग्राहियों/हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) एफ.डी. के रूप में देय होगा. एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा. श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी.

2. **पुनर्वास सहायता :—** सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजन को संबंधित मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जावेगा, बशर्ते वो उन योजनाओं की पात्रताओं को पूर्ण करते हों.

3. इस योजना हेतु संपूर्ण व्यय संबंधित मंडल द्वारा स्वयं की निधि से वहन किया जावेगा.

(ङ) **आवेदन प्रकरणों का निराकरण :—**

1. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल को होगा.

2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार मंडल के सचिव को होगा.

3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार मंडल के नोडल अधिकारी को होगा.

उक्त अधिकारी आवेदन के 15 दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करेंगे. यदि आवेदन तकनीकी तौर पर अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण लिखित में आवेदक के पास भेजा जावेगा तथा आवेदक को आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में त्रुटि सुधार कर निरंतरता में पुन: आवेदन किये जाने का अधिकार होगा.

(च) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में श्रमायुक्त छ.ग. शासन श्रम विभाग का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(छ) **योजना से संबंधित अन्य निर्देश :—**

1. संगठित क्षेत्र के किसी श्रमिक में सिलिकोसिस की शिकायत मिलने पर क्षेत्राधिकारी (उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) श्रमिक के कारखाने में नियोजित होने/पूर्व में नियोजित होने संबंधी जांच 15 दिन की अवधि में पूर्ण करेंगे. तद्पश्चात् उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को इस जांच के परिणाम से अवगत कराते हुए प्रकरण अग्रेषित करेंगे. उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उक्त श्रमिक में सिलिकोसिस की जांच संबंधी कार्यवाही करेंगे एवं जांच के परिणाम से उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को अवगत करावेंगे.

   यदि श्रमिक में सिलिकोसिस की पुष्टि होती है तो जिन श्रमिकों के प्रकरणों में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके कारखाने में नियोजित होने/पूर्व में नियोजित होने संबंधी पुष्टि हुई है, ऐसे प्रकरणों में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ श्रम कल्याण मण्डल को अग्रेषित करेंगे.

   ऐसे श्रमिक जिनमें सिलिकोसिस की पुष्टि हुई है परन्तु उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके कारखाने में नियोजित होने/पूर्व में नियोजित होने संबंधी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे प्रकरणों में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रकरण को जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के पास भेजेंगे. तद्पश्चात् जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी श्रमिक को छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीकृत कर श्रमिक/आश्रित से योजना का आवेदन प्राप्त कर छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को भेजेंगे.

2. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत किसी प्रवर्ग के श्रमिक में सिलिकोसिस की आशंका होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी प्रकरण को उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पास भेजेंगे. उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उक्त श्रमिक में सिलिकोसिस की जांच संबंधी कार्यवाही करेंगे एवं जांच के परिणाम से सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को अवगत करावेंगे. श्रमिक में सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अग्रेषित करेंगे. यदि श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है परन्तु पंजीकृत होने का पात्र है तो जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी श्रमिक के पंजीयन की कार्यवाही कर श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अग्रेषित करेंगे.

3. छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत किसी प्रवर्ग के श्रमिक में सिलिकोसिस की आशंका होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी प्रकरण को उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पास भेजेंगे. उप संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उक्त श्रमिक में सिलिकोसिस की जांच संबंधी कार्यवाही करेंगे एवं जांच के परिणाम से सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को अवगत करावेंगे. श्रमिक में सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि होने की स्थिति में जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को अग्रेषित करेंगे. यदि श्रमिक छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है परन्तु पंजीकृत होने का पात्र है तो जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी श्रमिक के पंजीयन की कार्यवाही कर श्रमिक/आश्रित से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को अग्रेषित करेंगे.

4. संगठित क्षेत्र के श्रमिक में सिलिकोसिस की पुष्टि होने की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) संबंधित कारखाने के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे तथा श्रमिक की जानकारी क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम को देंगे.

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के तहत् मिलने वाले लाभ केवल आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होंगे तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत् मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होंगे. यदि कोई श्रमिक स्वयं को किसी कारखाने में कार्यरत/पूर्व में कार्यरत होने का दावा करता है, परन्तु क्षेत्राधिकारी (उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) की जांच में श्रमिक के दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उपरोक्त उपबन्ध क्रमांक (छ) 1 के तहत् भले ही श्रमिक को छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीकृत कर लाभ प्रदाय किया जावे तब भी श्रमिक कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत् क्षतिपूर्ति आयुक्त/श्रम न्यायालय के समक्ष कारखाने के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु स्वतंत्र होंगे तथा उनके दावे की जांच क्षतिपूर्ति आयुक्त/श्रम न्यायालय द्वारा की जा सकेगी.

(ज) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01-11-2000 से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2014/29.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 113/95/XXI-B/C.G./2017 दिनांक 29-11-2017 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी गयी है.

2. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम-3 दर्शाये गये जिलों में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के पद पर पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद नाम (2)	पदस्थापना जिला (3)
1.	श्री बृजेंद्र कुमार शास्त्री, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कवर्धा.
2.	श्री शैलेश कुमार केटारप, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, धमतरी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 25 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/754/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	बड़े टेमरी प.ह.नं. 46	5.49 हे.	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम बड़े टेमरी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 8-12-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत बड़े टेमरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 91.83 करोड़
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज परियोजना से 15 ग्राम की 1980 हे. में खरीफ फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा को राशि रु. .... का भुगतान चेक क्र. .... के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द के पास माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 25 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/758/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	सांकरा प.ह.नं. 45	13.09 हे.	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम सांकरा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11-12-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत सांकरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज परियोजना से खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा के लिये मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	38 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 91.83 करोड़
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज परियोजना से 15 ग्राम की 1980 हे. में खरीफ फसल के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा को राशि रु. .... का भुगतान चेक क्र. .... के द्वारा कलेक्टर महासमुन्द के पास माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 25 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/768/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
महासमुन्द	सरायपाली	कापुकुंडा	1.08 हे.	अर्तुण्डा बनोभांठा व्यपवर्तन योजना से ग्राम कापुकुंडा की 120 हे. खरीफ सिंचाई के लिये नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम कापुकुंडा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 08-12-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) कापुकुंडा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	ग्राम कापुकुंडा के 120 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	248.40 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	ग्राम कापुकुंडा की 120 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 25 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/770/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	सरायपाली	पेलागढ़	2.08 हे.	दर्राभाठा व्यपवर्तन योजना से ग्राम दर्राभाठा एवं नवागढ़ की 155 हे. खरीफ सिंचाई के लिए शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-पेलागढ़.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 10-12-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) पेलागढ़ पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	ग्राम पेलागढ़ में 155 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10 परिवार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	372.68 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	ग्राम पेलागढ़ एवं नवागढ़ की 155 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/1826/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. 14 अ/82 वर्ष 2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा नं.	रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अकोलीकला	11	0.25 हे.	आरंग-कलई-खमतराई-भोथली-अकोलीकला-गुखेरा-मार्ग चौड़ीकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 22-12-2017 को समय 11.30 बजे से स्थान ग्राम अकोलीकला, पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	आरंग-कलई-खमतराई-भोथली-अकोलीकला-गुखेरा-मार्ग चौड़ीकरण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	अनुमानित राशि रु. 1590.31 लाख/-
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन की सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/1829/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. अ/82 वर्ष 2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा नं.	रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	भोथली	381	0.01 हे.	आरंग-कलई-खमतराई-भोथली-अकोलीकला-गुखेरा-मार्ग चौड़ीकरण
			382	0.01 हे.	

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-12-2017 को समय 11.30 बजे से स्थान ग्राम भोथली, पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — आरंग-कलई-खमतराई-भोथली-अकोलीकला-गुखेरा-मार्ग चौड़ीकरण.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02 व्यक्ति
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — अनुमानित राशि रु. 1590.31 लाख/-
9. परियोजना से होने वाला लाभ — आवागमन की सुविधा
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — रु. 5.00 लाख
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1222/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Shubhra Pachouri, V Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Durg	Durg	V Additional District & Sessions Judge.
2.	Smt. Neelima Singh Baghel, V Additional District & Sessions Judge.	Durg	Mungeli	Mungeli	Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Omprakash Singh Chauhan, Additional Registrar (Admn.), High Court of C.G.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Jaideep Garg, Secretary, High Court Legal Services Committee.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	IX Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Rajeev Kumar , IX Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Raipur	Raipur	VII Additional District & Sessions Judge.
6.	Shri Suresh Joon, Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Raipur	Raipur	II Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raipur.
7.	Smt. Usha Gendle, Additional Distirct & Sessions Judge (F.T.C.).	Korba	Baloda-Bazar	Baloda Bazar	III Additional Disrtict & Sessions Judge.
8.	Shri Deepak Kumar Deshlhre, V Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Durg	Durg	II Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Durg.

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1224/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Atul Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service and presently posted as III Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge, Raipur is appointed as Additional Registrar (Administration) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1226/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Smt. Heemanshu Jain, II Additional District & Sessions Judge, Korba.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Korba.

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1229/Confdl./2017/I-8-6/2001 (Pt. IV).—Shri Bhanupratap Singh Tyagi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as VII Additional District & Sessions Judge, Raipur is appointed as Secretary, High Court legal Services Committee, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1231/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is now, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4), from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & Judicial Officer (2)	Prsently posted in the capacity (3)	Henceforth posted the capacity (4)
1.	Smt. Geeta Neware	IV Additional District and Sessions Judge, Raigarh.	I Additional District and Sessions Judge, Raigarh.

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1233/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate, as specified in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as

mentioned in column No. (6) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Sanjaya Ratre, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jashpur	Dantewara	Dakshin Bastar Dantewara	Civil Judge Class-I & C.J.M.

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 1234/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below is, hereby, appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anil Kumar Pandey, Secretary, District Legal Services Authority.	Jashpur	Jashpur Nagar	Jashpur	I Civil Judge Class-I & C.J.M.

Note :— The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless they complete five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge, After completion of 5 years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge, the conferment of benefit by way of ACP Scales shall be made on the appraisal of the work and performance by the High Court.

बिलासपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2017

क्रमांक 9926/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी अपने घोषित कार्य स्थल धमतरी के अतिरिक्त कुरूद में भी प्रत्येक माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 9926/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Additional District & Sessions Judge, Dhamtari in addition to his place of sitting at Dhamtari declared shall also sit at Kurud for one week every month.

Bilaspur, the 23rd November 2017

No. 9928/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon (1) Shri Krishna Murari Sharma, Judicial Magistrate Second Class, Raipur, (2) Ku. Sanjulata Dewangan, Judicial Magistrate Second Class, Raipur and (3) Shri Prashant Kumar Bhaskar, Judicial Magistrate Second Class, Raipur.

By order of the Hon'ble High Court,
GAUTAM CHOURDIYA, Registrar General.